

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 3/2019 (डूंगरपुर डिक्री)

1. श्रीमती कमला पिता रूपाजी अहारी भील, निवासी पालवडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्रीमती मीरा पिता रूपाजी अहारी भील, निवासी पालवडा, तहसील व जिला डूंगरपुर
3. श्रीमती तुलसी पिता रूपाजी अहारी भील, निवासी पालवडा, तहसील व जिला डूंगरपुर

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. इन्द्रा लठ्ठा पिता नाथूलाल जी लठ्ठा मीणा, निवासी पालवडा, फला जुहीयाला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्वर्गीय कानाराम जी डामोर, निवासी पालवडा, फला जुहीयाला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
3. गटुलाल मीणा, निवासी पालवडा, फला जुहीयाला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
4. रामा पिता रूपाजी अहारी भील, निवासी पालवडा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्त. अधि. 1955 विरुद्ध निर्णय व

डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

दिनांक 05.03.2019 प्र.सं. 110/13

----/----

उपस्थित (वक्त बहस) 1- श्री मुकेश कुमार भट्ट अभिभाषक अपीलान्तगण

2- श्री नगीन पटेल अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं. 1 से 3

3- श्री चन्द्र प्रकाश चौबीसा अभिभाषक रेस्पों. सं. 4

4- श्री पैरोकार सरकार रेस्पोंडेन्ट संख्या 5

----::----

निर्णय

दिनांक 06-04-2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्तगण द्वारा रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध एक वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 रामा स्वर्गीय रूपा अहारी की संतान हैं, किन्तु विरासत का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 4 अकेले के नाम खुल गया, जबकि रूपाजी की भूमि



समान अधिकार है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 19-05-2003 को आराजी नंबर 378 से 386 एवं 4029/351 कुल किता 10 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय सम्पादित करवा लिया, जो वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य है, क्योंकि उक्त आराजियात में प्रत्येक वादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात में 1/4, 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर विक्रय विलेख दिनांक 19-05-2003 को वादीगण के मुकाबले शून्य घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होने से वादीगण का वाद मात्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानकर अपने निर्णय दिनांक 05-03-2019 से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री नगीन पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री चन्द्र प्रकाश चौबीसा उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात कायत की गयी हैं एवं प्रकरण साक्ष्य में नियत था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के बाहर मानकर खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्त खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्त/वादीगण के वाद का मुख्य आधार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने बाबत है, जबकि रजिस्टर्ड दस्तावेज को शून्य घोषित

करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय का है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार में नहीं होना मानकर खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05-03-2019 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06-04-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासएम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

श्रीमती कमला पिता रूपा अहारी भील, बनाम इन्द्रा लठ्ठा पिता नाथूलाल लठ्ठा
निवासी पालवडा, तहसील डूंगरपुर मीणा, नि. पालवडा, फला जुहीयाला,
जिला डूंगरपुर व अन्य तहसील व जिला डूंगरपुर व अन्य

अपील नं.....3/2019.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
..... डूंगरपुर मुकाम.....मुवर्खे.....05.....माह.....03.....2019

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....06.....माह.....04.....सन् 2021 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री मुकेश कुमार भट्ट.....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री नगीन पटेल
.....रेस्पोंडेन्ट समाप्त के लिए पेश होकर हुकम हुआ कि..... अतः अपील अपीलान्त सारहीन
होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक
05-03-2019 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....06.....माह.....04.....2021
को जारी किया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

| अपीलान्त | रू0 | पै0 | रेस्पोंडेन्ट | रू0 | पै0 |
|-----------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|
| 1. स्टाम्प अपील | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा... | | |
| 2. स्टाम्प वकालत नामा | | | 2. स्टाम्प अर्जी | | |
| 3. इजराय हुकमनामा | | | 3. इजराय हुकमनामा | | |
| 4. वकील फीस बाबत | | | 4. मेहनताना वकील..... | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।

